

प्रेषक,

श्री संजीव सरन,
प्रमुख सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में

- (1) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, (2) समस्त मण्डलायुक्त, उ०प्र०
उ०प्र० शासन, लखनऊ। (3) समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।
(4) अध्यक्ष/सदस्य सचिव,
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उ०प्र०, लखनऊ।

पर्यावरण अनुभाग:

लखनऊ:: दिनांक 29, दिसम्बर, 2015

विषय:- प्रदेश में प्लास्टिक कैंरी बैग्स का विनिर्माण, आयात, भण्डारण,
विक्रय, ढुलाई को प्रतिबन्धित किया जाना।

महोदय

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित जनहित याचिका संख्या-67235/2014 अशोक कुमार व अन्य बनाम नगर निगम, इलाहाबाद व अन्य में पारित आदेश दिनांक 18.11.2015 के अनुपालन में प्रदेश में प्लास्टिक कैंरी बैग्स का विनिर्माण, आयात, भण्डारण, विक्रय, ढुलाई को प्रतिबन्धित किये जाने संबंधी अधिसूचना संख्या-3306 /55-पर्या-15-27(पर्या)/15, दिनांक 22.12.2015 की (प्रति संलग्न) कर निर्गत कर दी गयी है जो गजट में प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के बाद प्रवृत्त होगी।

2-- उक्त अधिसूचना की प्रति एतद्वारा संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पॉलिथिन कैंरी बैग्स के विनिर्माण, आयात, भण्डारण, विक्रय व ढुलाई को अधिसूचना में निहित निर्देशानुसार कृपया प्रतिबन्धित किये जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक:-यथोक्त।

संजीव सरन

(संजीव सरन)

प्रमुख सचिव।

०२

संख्या 3356 (1) / 55-पर्या-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, सूचना विभाग, उ०प्र० लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि संलग्न अधिसूचना का व्यापक प्रचार-प्रसार कराने का कष्ट करें।
2. समस्त विभागाध्यक्ष उ०प्र० को इस आशय से प्रेषित कि संलग्न अधिसूचना में उल्लिखित अधीनस्थ प्राधिकृत अधिकारी को अपने स्तर से अवगत कराने का कष्ट करें।
3. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ०प्र० लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि मामले में आवश्यक कार्यवाही करते हुये अपने स्तर से समस्त स्थानीय नागर निकायों को अवगत कराने का कष्ट करें।
4. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक, उ०प्र०।
5. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उ०प्र०।
6. अधिशासी अधिकारी, समस्त छावनी परिषद, उ०प्र०।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(आत्माराम)

संयुक्त सचिव।

क्रम संख्या-331



रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल०-

डब्लू०/एन०पी०-91/2014-16

लाइसेन्स दू पोस्ट ऐट कन्सोशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (क)
(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, मंगलवार, 22 दिसम्बर, 2015

पौष 1, 1937 शक सम्बत्

उत्तर प्रदेश शासन
पर्यावरण अनुभाग

संख्या 3308/55-पर्या-15-27(पर्या)/15

लखनऊ, 22 दिसम्बर, 2015

अधिसूचना

सा०प०नि०-74

चूंकि भारत का संविधान का अनुच्छेद 48-क अन्य बातों के साथ-साथ विचार करता है कि राज्य पर्यावरण के बचाव के लिए प्रयत्न करेगा ;

और चूंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्यावरण तथा स्थानीय परिवेश पर प्लास्टिक की थैलियों के प्रतिकूल प्रभावों पर विचार करने के उपरांत यह अनुभव किया कि प्लास्टिक की थैलियां लापरवाही से इधर-उधर फेंक दी जाती हैं और इसका पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है :

और चूंकि यह पाया गया है कि प्लास्टिक की थैलियां गटरों, मल निकास प्रणाली तथा नालों में बाधा भी उत्पन्न करती हैं जिससे गंभीर पर्यावरणीय तथा जन स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याएं उत्पन्न होती हैं।

अतएव, अब, लोकहित में, पर्यावरण (संरक्षण) नियमावली, 1986 के नियम-5 के उपनियम (3) एवं (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (केन्द्रीय अधिनियम 29, सन् 1986) की धारा-5 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित निदेश जारी करते हैं :-

निदेश :-

1-किसी दुकानदार, विक्रेता, थोक विक्रेता या खुदरा विक्रेता, ठेरीवालों या रेहड़ीवालों (अर्थात् जिसमें सभी प्रकार के हाथ से धकेलने वाले ठेले शामिल हैं जो सभी प्रकार की वस्तुओं को बेचने के लिये प्रयुक्त किए जाते हैं) सहित कोई भी व्यक्ति किसी खाद्य पदार्थ या अखद्य सामान या सामग्री/वस्तु के भण्डारण या वितरण के लिये किसी प्रकार की प्लास्टिक थैलियों का विक्रय या भण्डारण या प्रयोग नहीं करेगा।

2-कोई भी व्यक्ति उत्तर प्रदेश राज्य के भीतर किसी प्रकार की प्लास्टिक की थैलियों (जिसमें पॉली प्रोपलीन व न बुने हुए फैब्रिक प्रकार की प्लास्टिक की थैलियों शामिल हैं) का निर्माण, आयात, भण्डारण, विक्रय या दुलाई नहीं करेगा।

3-कोई भी व्यक्ति किसी पुस्तक जिसमें पत्रिका और निमंत्रण पत्र और स्वागत-पत्र शामिल हैं, को बांधने या ढकने के लिये किसी प्रकार के प्लास्टिक कवर या प्लास्टिक शीट या प्लास्टिक फिल्म या प्लास्टिक ट्यूब का प्रयोग नहीं करेगा।

अपवाद :

इस अधिसूचना के अन्तर्गत जारी निदेश जीव चिकित्सीय कूड़ा कर्कट (प्रबन्धन और संभाल) नियमावली, 1998 के अन्तर्गत यथाविनिर्दिष्ट प्लास्टिक थैलियों के प्रयोग पर प्रभाव नहीं डालेगा।

स्पष्टीकरण:

इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ "प्लास्टिक की थैलियों" का यही अर्थ होगा जैसा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी प्लास्टिक कूड़ा कर्कट (प्रबन्धन तथा संभाल) नियमावली, 2011 में परिभाषित है जिसे निम्न रूप में उद्धृत किया जाता है:-

"प्लास्टिक की थैलियों" का तात्पर्य बस्तुओं को ले जाने या विरक्षण के प्रयोजन के लिये प्रयुक्त प्लास्टिक सामग्री से निर्मित किसी प्रकार की थैली से है। लेकिन इसमें वे थैलियाँ शामिल नहीं हैं, जो पैकेजिंग का भाग या हिस्सा बनती हैं या इसका अभिन्न अंग हैं, जिसमें प्रयोग से पूर्व बस्तुएं सीलबन्द की जाती हैं।

प्राधिकृत अधिकारी :

निम्नलिखित अधिकारियों को एतद्वारा अपने अधिकार क्षेत्र में इस अधिसूचना को क्रियान्वित करने के लिये प्राधिकृत किया जाता है, अर्थात्:-

1-सदस्य-सचिव, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा सहायक पर्यावरण अभियन्ता स्तर से अनिम्न स्तर के अधिकारी।

2. निदेशक (पर्यावरण) उत्तर प्रदेश सरकार तथा सहायक निदेशक स्तर से अनिम्न स्तर के अधिकारी।

3-अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में उप मंडल मजिस्ट्रेट।

4.-उत्तर प्रदेश राज्य में सम्बन्धित स्थानीय निकाय एवं छावनी परिषद के सफाई एवं ख्याद्य निरीक्षक व उच्च संबंधित प्राधिकारी।

5-उत्तर प्रदेश के संबंधित क्षेत्र के विपणन एवं आपूर्ति अधिकारी।

6-निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा, उत्तर प्रदेश या उसके द्वारा नामित चिकित्सा अधिकारी स्तर से अनिम्न स्तर के अधिकारी अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में।

7-श्रम विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार के संबंधित क्षेत्र के श्रम निरीक्षक तथा उच्च का अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में।

8-खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार के खाद्य सुरक्षा अधिकारी स्तर से अनिम्न स्तर के अधिकारी अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में।

अनुश्रवण :

अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा इन निदेशों का सम्पूर्ण रूप से अनुश्रवण एवं कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अपने-अपने क्षेत्र/अधिकारिता में उपमंडल मजिस्ट्रेट पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा-10 के अधीन शिकायत को दाखिल करने के लिए प्राधिकृत हैं।

प्रवर्तन :

यह अधिसूचना गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तीस दिनों के बाद प्रवृत्त होगी।

आज्ञा से,
संजीव सरन,
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of Constitution, the Governor is pleased to order the publication of following English translation of notification no. 3306/Parya/15-27/(parya)/15, Lucknow: Dated December 22, 2015 for general information.

No. 3306/Parya/15-27(parya)/15

Lucknow, Dated December 22, 2015

Whereas article 48-A of the Constitution of India, *inter-alia* envisages that the State shall endeavour to protect the environment;

And whereas the Government of Uttar Pradesh after considering the adverse effects of plastic carry bags on the environment and local ecology, felt that plastic carry bags are littered about irresponsibly and have detrimental effect on the environment;

And whereas it is observed that the plastic carry bags also cause blockage of gutters, Sewerage system and drains thereby resulting in serious environmental and public health related problems.

Now, therefore, in the public interest in exercise of the powers conferred by section 5 of the Environment (Protection) Act, 1986 (Central Act 29 of 1986), read with sub-rules (3) and (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Governor is pleased to issue the following directions :-

DIRECTIONS

1. No person including a shopkeeper, vendor, wholesaler or retailer, trader, hawker of *rehriwala* (i.e. which shall include all kinds of hand pushed/pulled carts which are used to sell various commodities), shall sell or store or use any kind of plastic carry bags for storing or dispensing of any eatable or non-eatable goods of materials.

2. No person shall manufacture, import, store, sell or transport any kinds of plastic carry bags (including that of Poly Propylene, Non-woven fabric type carry bags) within the State of Uttar Pradesh.

3. No person shall use any kind of plastic cover or plastic sheet or plastic film or plastic tube to pack or cover any book including magazine and invitation card or greeting card.

Exception:

The direction issued under this notification, shall not affect the use of plastic carry bags as specified under the Bio-Medical Waste (Management and Handling) Rules, 1998.

Explanation:

For the purposes of this Notification "plastic carry bags" shall have the same meaning as defined in the Plastic Waste (Management and Handling) Rules, 2011 issued by the Government of India, Ministry of Environment and Forests, which is reproduced as below :-

"Carry bags" mean bags made from any plastic material, used for the purpose of carrying or dispensing commodities but do not include bags that constitute or form an integral part of the packaging in which goods are sealed prior to use.

Authorized Officers:

The following officers are hereby authorized to implement this Notification in their respective jurisdiction namely :-

1. Member Secretary, Uttar Pradesh Pollution Control Board and Officers not below the rank of Assistant Environmental Engineer.
2. Director Environment, Government of Uttar Pradesh and officers not below the rank of Assistant Director.
3. Sub-Divisional Magistrates in Uttar Pradesh in their respective jurisdiction.
4. Sanitary and Food Inspectors and above concern authorities of the respective local bodies and Cantonment Boards in the State of Uttar Pradesh.
5. Marketing and Supply Officers of the respective area of Uttar Pradesh.

4

उत्तर प्रदेश असाधारण गजट, 22 दिसम्बर, 2015

6. Director, Medical and Health Services Uttar Pradesh or officers not below the rank of Medical officer nominated by him in their respective jurisdiction.

7. Labour Inspectors and above of the Labour Department, Government of Uttar Pradesh in their respective jurisdiction.

8. Officers not below the rank of Food Safety Officer of the Food Safety and Drug Administration Department of the Government of Uttar Pradesh in their respective jurisdiction.

Monitoring:

The Chairman and Member Secretary, Uttar Pradesh Pollution Control Board shall ensure over all monitoring and implementation of these directions. The Chairman and Member Secretary, Uttar Pradesh Pollution Control Board and the Sub-Divisional Magistrates of the respective area/jurisdiction are authorized to file complaint under section-19 of the Environment (Protection) Act, 1986.

Enforcement:

This notification shall come into force with effect from thirty days from the date of publication thereof in the *Gazette*.

By order,
SANJIV SARAN,
Pramukh Sachiv.